राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1403/2007/जोधपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, जोधपुर .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स विष्णु ऑयल मिल्स,
जोधपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील ज़ई,
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से

श्री अभिषेक अजमेरा, अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 24/05/2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **''अपीलीय अधिकारी''** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 44/आरएसटी/जेयूडी/2006-07 के आदेश दिनांक 16.05.2007 के विरूद्ध पेश की गई है, जिसमें अपीलीय प्राधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी (जिसे आगे **''प्रत्यर्थी''** कहा जायेगा) की अपील स्वीकार करते हुए सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट तृतीय, एन्टीईवेजन, जोधपुर (जिसे आगे **''सक्षम अधिकारी''** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (जिसे आगे **"प्रवेश कर अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 3 एवं 45 के अन्तर्गत आरोपित कर रूपये 53,914/- एवं ब्याज रूपये 510/- को अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की जांच सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 11.07.2006 को किये जाने पर पाया कि प्रत्यर्थी द्वारा दाल छानने की मशीन राज्य के बाहर से आयात की गई जो कि कम्प्यूटराईज्ड मशीन होने के कारण यह इलेक्ट्रोनिक आइटम्स की श्रेणी में आने से इस पर प्रवेश कर की देयता बनती है। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर आयातित इस माल पर करारोपण प्रस्तावित किया तथा प्रत्यर्थी का प्रत्युत्तर प्राप्त कर दिनांक 13.07.2006 को ही पारित आदेश में आयातित माल को कम्प्यूटर आइटम्स मानते हुए इस पर 4 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर रूपये 53,914/- तथा ब्याज रूपये 540/- आरोपित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो अपील निर्णय दिनांक 16.05.2007 द्वारा स्वीकार की गई तथा आरोपित प्रवेश कर और ब्याज को अपास्त किया गया। अपीलार्थी राजस्व द्वारा उक्त अपीलीय आदेश के विरूद्ध यह अपील धारा 24 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

निरन्तर............2

3. अपीलार्थी राजस्व की ओर से पक्ष प्रस्तुत करते हुए विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि आयातित माल कम्प्यूटराइज्ड आइटम होने से सक्षम अधिकारी द्वारा इस पर सही करारोपण किया गया है जिसे अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गई है। अतः उन्होंने राजस्व की अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की।

4. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि आयातित माल चूंकि 'मशीनरी' है अतः इस पर प्रवेश कर देय नहीं है। उन्होंने अपीलीय आदेश की पुष्टि कर राजस्व की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की।

5. उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। सक्षम अधिकारी की पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नगत आयातित माल के बिल का अवलोकन करने पर पाया कि इसमें माल का विवरण (Description) इस प्रकार दिया गया है – "1 No. QED Fusion R- 144 (96+36+12 Chute) Double View Camera Type Electronic Colour Sorting Machine for sorting Dal with built in stabilizer"

बिल में दिये गये उक्त Description से स्पष्ट है कि यह दाल छानने की मशीन है जिसमें कैमरा व Colour Sorting उपकरण लगे हुए हैं, परन्तु इसकी मूल प्रकृति मशीनरी की ही है। सक्षम अधिकारी द्वारा इसे इलेक्ट्रोनिक आइटम मानते हुए करारोपण किया गया है। इस संबंध में प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 08.03.2006 की संबंधित प्रविष्टि निम्नानुसार है :–

24.	All kinds of electrical and electronic goods including electronic meters, FAX Machines, ATM, SIM cards and Smart Cards; and their parts and accessories.	4

6. उक्त प्रविष्टि के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें ऐसी मशीनरी शामिल नहीं मानी जा सकती जिसके कुछ पार्ट्स इलेक्ट्रोनिक हों। प्रश्नगत मशीन कृषि उत्पाद–'दलहन' को छानने एवं छंटाई के काम में आती है, अतः यह इस प्रविष्टि से आच्छादित नहीं पायी जाती है। अपीलीय अधिकारी ने इसे सामान्य मशीनरी की श्रेणी में मानकर तथा इलेक्ट्रोनिक गुड्स की श्रेणी में न मानकर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है, अतः अपीलीय आदेश पुष्टि किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाकर राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

24.05.2018

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य